न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आई. ए. एस.

राजस्व अपील/225/रा.का.अधि./94/2023/बाड़मेर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेंटगण
1. बुधाराम पुत्र श्री सुटारामजी 2. गजेन्द्र कुमार पुत्र श्री सुटारामजी 3. आमेप्रकाश पुत्र श्री सुटारामजी 4. श्रीमती पानीदेवी बेवा श्री सुटारामजी, जातियान सुथार जांगिड़ ब्राह्मण, निवासी पारलू, तहसील पचपदरा, जिला बाड़मेर।		1. मूलाराम पुत्र श्री तुलसारामजी 2. मगाराम पुत्र श्री तुलसारामजी 3. श्रीमती पूरो बेवा तुलसारामजी 4. पूनमाराम पुत्र श्री पेमारामजी, जातियान जाट, निवासी उमरलाई खालसा, तहसील पचपदरा, जिला बाड़मेर। 5. श्रीमान भूमिधारक एवं तहसीलदार महोदय, पचपदरा। 6. बुधाराम पुत्र नेनारामजी 7. सोनाराम पुत्र नेनारामजी 8. श्रीमती गंगा बेवा तारारामजी 9. रामाराम पुत्र तारारामजी 10. मंगलाराम पुत्र तारारामजी, जाति भील, निवासी उमरलाई खालसा, तहसील पचपदरा, जिला बाड़मेर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 83/2020 बउनवान मूलाराम वगैरह बनाम बुधाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 03.02.2023 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थितः—

1. वकील श्री उम्मेदसिंह चम्पावत अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री अचलाराम थोरी रेस्पो. संख्या 01 व 04 की ओर से।
3. वकील श्री नारायणसिंह रेस्पो. संख्या 6 व 7 की ओर से।
4. शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित।

—:निर्णयः—

दिनांकः—23.09.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण/रेस्पो. संख्या 01 से 04 द्वारा अपने खातेदारी आराजी जो कि सरहद मौजा उमरलाई खालसा, पटवार हल्का उमरलाई, तहसील पचपदरा के खसरा संख्या 356 आयी हुई है। जिसमें आवागमन हेतु अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251— ए के अन्तर्गत एक आवेदन पेश किया। उक्त आवेदन में हमारे पड़ोस में विप्रार्थीगण/अपीलांट्स के खातेदारी का खेत खसरा संख्या 561/357 जो प्रार्थीगण/रेस्पों. के खेत एवं सड़क के मध्य में पड़ता है जिस हेतु रास्ता प्रदान करने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि द्वारा स्थापित

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

प्रक्रिया का पालन किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण/रेस्पो. संख्या 01 से 04 द्वारा अपने खातेदारी आराजी जो कि सरहद मौजा उमरलाई खालसा, पटवार हल्का उमरलाई, तहसील पचपदरा के खसरा संख्या 356 आयी हुई है। जिसमें आवागमन हेतु अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251– ए के अन्तर्गत एक आवेदन पेश किया। उक्त आवेदन में हमारे पड़ोस में विप्रार्थीगण/अपीलांट्स के खातेदारी का खेत खसरा संख्या 561/357 जो प्रार्थीगण/रेस्पों. के खेत एवं सड़क के मध्य में पड़ता है, में से रास्ता प्रदान करने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। रेस्पों. संख्या 1 से 4 के खेत खसरा संख्या 356 में आवागमन हेतु दो अन्य विकल्प मौजूद हैं। जिसके संदर्भ में अपीलांट की ओर से अपना जवाब व नजरी नक्शे में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो विधि संगत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही आदेश पारित करते हुए 15 फुट का रास्ते का आदेश प्रदान किया था जिसकों हाजा न्यायालय में चुनौती दी गई। जिसमें हाजा न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत आदेश पारित करने हेतु लिखा था। जिसकी अधीनस्थ न्यायालय को अक्षर–अक्षर पालना की जानी आज्ञापक थी। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश द्वारा 24 फुट का रास्ता स्वीकृत कर दिया। जो विधि के विपरीत पारित किया गया है। हस्तगत प्रकरण में तलब मौका रिपोर्ट में अपीलांट की अनुपस्थिति में रेस्पों. के दबाव में आकर तैयार की गई है। मौका रिपोर्ट में अपीलांट की ढाणी एवं वास्तविक भौतिक स्थिति से परे जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई है। मौका रिपोर्ट में अपीलांट के आलमात के बारे में कोई हवाला नहीं दिया गया है, जबकि प्रस्तावित रास्ते की भूमि पर अपीलांट के रहवासी मकान, ढाणियां आदि बने हुये है। प्रश्नगत एकपक्षीय मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। फिर भी विधि के नियमों के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण द्वारा केवल मात्र अपीलांट को तंग परेशान करने व रंजिश रखते हुए अपीलाधीन आवेदन प्रस्तुत किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त समस्त तथ्यों को अनदेखा करते हुए दूषित मंशा से अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया है। प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट्स व राजस्व कर्मचारियों के मध्य अपीलांट/अप्रार्थी के विरूद्ध दुरभि संधि कर अपीलांट को नाहक नुकसान पहुंचाने के इरादे से अपीलाधीन आवेदन को अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। उक्तानुसार समस्त कथनों से परे जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

वकील रेस्पों. संख्या 06 व 07 की ओर से वकील अपीलांट के कथनों का समर्थन किया गया।

रेस्पोंडेंट संख्या 01 से 04 के अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के नाम जारी सम्मन पर अपीलांट की पर्याप्त तामील करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश मजमे आम में उभयपक्ष की उपस्थिति में पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोंडेण्टस/प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई निकटतम वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण/रेस्पों. को उसकी खातेदारी के खेत में आने–जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता को देखते हुए तहसीलदार द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। हस्तगत प्रकरण में मौका रिपोर्ट तैयार करने से पहले अपीलांट को जरिये नोटिस सूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई है। जिससे अपीलांट के उक्त उज्र का कोई सार नहीं है। उक्त मौका रिपोर्ट अनुसार आदेशित रास्ते को सबसे निकटतम दूरी का रास्ता होने से अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो विधि संगत है। उक्तानुसार रेस्पोंडेंट को उक्त प्रस्तावित रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251– ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील पेश कर प्रकरण को अनावश्यक लंबा किया जा रहा है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलांटस को पूर्व में नहीं रही। इस त्रुटिपूर्ण आदेश का ज्ञान अपीलांटगण को होते ही अपीलांट के द्वारा उसी दिन नकल के लिये आवेदन किया और नकलें प्राप्त की गयी। अपीलांटस को सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई जिससे यह अपील अन्दर म्याद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के नाम से जारी सम्मनों पर सम्यक तामील करवाई गई। अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं है। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब अपीलांट द्वारा नहीं दिया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश उभयपक्ष की उपस्थिति में मजमे आम में बाद सुनवाई पारित किया गया। उसके उपरांत हाजा न्यायालय द्वारा भी अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। मौका रिपोर्ट अनुसार आदेशित/प्रस्तावित रास्ते के अलावा प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट के खेत तक पहुंचने के लिए प्रस्तावित रास्ता सुगम एवं निकटतम है। अपीलाधीन आदेश की पालना में प्रश्नगत रास्ते का राजस्व रेकर्ड में अंकन हो गया है। अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आवेदन एक समरी प्रक्रिया है जिसमें तकनीकी आधार पर प्रकरण का निस्तारण कर रेस्पोडेंटस को मिले रास्ते के वैधानिक अधिकार से महरूम नहीं रखा जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तावित रास्ते के अलावा उक्त खसरे तक पहुंचने हेतु कोई निकटतम विकल्प नहीं है। इसलिएं अपीलांट के उक्त उज्र का कोई सार प्रतीत नहीं होता है। अपीलांटस द्वारा अपनी अपील में आपत्ति की है कि तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका नहीं देखा गया। जबकि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा अपने अनेकों निर्णयों में यह प्रतिपादित किया गया है कि भू अभिलेख निरीक्षक रैंक के कर्मचारी द्वारा रास्ते के मामले में मौका देखा जाना न्यायसंगत है। राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम, 1955 के नियम 69 में वर्णित है कि आई.एल.आर. से कम रेंक के राजस्व अधिकारी द्वारा मौका नहीं देखा जाना चाहिये। इसलिए अपीलांट की उक्त आपत्ति में कोई सार नहीं है। यदि किसी खसरे में से पूर्व में रास्ता दिया गया है तो दूसरी बार रास्ता देने हेतु भी कोई विधि बाधित नहीं करनी है। रेस्पोडेंटस/प्रार्थी को रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता और अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होने से दिया गया है रास्ता विधि सम्मत एवं युक्तिसंगत है। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए बाद विस्तृत विवेचन दिया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अपीलांटगण की केवल हठधर्मिता के मद्देनजर रेस्पोडेंट/प्रार्थीगण को उसको मिले रास्ते के विधिक अधिकार से वंचित रखना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 110/2024 बउनवान नारणाराम वगैरह बनाम डालुराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 10.02.2025 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

23/9/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 23.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/9/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर